

पुस्तकें क्रय हेतु निविदा आमंत्रण

महाविद्यालय में सत्र 2022-23 हेतु शासन से अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक प्रदाय योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन के उपक्रम हिन्दी ग्रंथ अकादमी के द्वारा पुस्तकों की पूर्ती के पश्चात इन वर्गों की आवश्यकतानुसार शेष पुस्तकों के क्रय हेतु तथा यूजीसी/जनभागीदारी एवं शासन द्वारा इस मद में प्राप्त आवंटन से पुस्तकों के क्रय हेतु निविदा पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवाच्य होना चाहिये। अपठनीय एवं अपूर्ण भाव पत्रों को विचार में नहीं लिया जावेगा तथा तुलनात्मक विवरण में शामिल नहीं किया जावेगा। भाव पत्र निम्न विवरण के साथ 30.09.2022 तक महाविद्यालय में स्वयं/कोरियर/स्पीड पोस्ट से कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	प्रकाशन का विवरण	देय छूट % मे	अन्य रिमार्क
1	नवीन पाठ्यक्रम अनुसार वार्षिक एवं सेमेस्टर से संबंधित पाठ्यक्रम की पुस्तकें-स्वयं एवं अन्य प्रकाशन	स्वयं - अन्य -	
2	हिन्दी ग्रंथ अकादमी के प्रकाशन		
3	उपन्यास हिन्दी/अंग्रेजी		
4	संदर्भ ग्रंथ (पुस्तकें)	स्वयं - अन्य -	
5	भारतीय एवं विदेशी प्रकाशन		
6	शासकीय प्रकाशन		
7	उपरोक्त के अलावा अन्य पुस्तकें जैसे सामान्य ज्ञान/केरियर/कम्प्यूटर रिसर्च जर्नल्स आदि	स्वयं - अन्य -	

- शर्तें - 1. भाव पत्र के साथ GST में रजिस्ट्रेशन एवं देयक में GST नंबर अंकित होना अनिवार्य है।
 2. समय सीमा में प्राप्त भाव पत्र ही मान्य किये जावेगे।
 3. प्रदाय पुस्तकों पर केवल प्रिंटेड मूल्य ही मान्य होगा। अन्य प्रकार से अंकित मूल्य अस्वीकार्य।
 4. समय सीमा तथा आदेशानुसार पुस्तकें प्रदाय नहीं करने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। अन्य प्रकाशन की पुस्तकों पर देय छूट अंकित करें तदनुसार पुस्तकें भी प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
 5. उपरोक्त दिये गये फार्मेट अनुसार ही भाव पत्र प्रदाय करें।
 6. लिफाफे पर पुस्तक प्रदाय निविदा 2022-23 अवश्य अंकित करें।
 7. भाव पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करना तथा उपरोक्त के अलावा प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य बंधकारिक होगा। भुगतान ई-पेमेंट से होगा अतः बैंक खाता क्रमांक एवं आय.एफ.एस.सी. कोड बिल पर अंकित होना अनिवार्य है।
 8. महाविद्यालय में बी0एस0सी0, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणिशास्त्र, बायोटेक्नालॉजी, कम्प्यूटर साइंस, विषय संचालित है। इसलिए इन पुस्तकों की वार्षिक बी0एस-सी0 तृतीय वर्ष की पुस्तकों तथा बी0एस-सी0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र की पुस्तकों की दर सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रभारी पुस्तकालय

शासकीय माधव सदाशिवराव
गोलवलकर महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल

विषय:- विभाग कि वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु निवेदन।

प्राचार्य

शासकीय माधव सदाशिवराव
गोलवलकर महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्र. 300/स्था/2022

रीवा दिनांक 15.09.22

निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजनान्तर्गत भाव पत्र आमंत्रण

महाविद्यालय में सत्र 2022-23 हेतु शासन से अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजनान्तर्गत रु. 500/- की स्टेशनरी का सेट क्रय हेतु भाव पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवाच्य तथा निर्धारित फार्मेट में ही होना चाहिये। अपठनीय एवं अपूर्ण भाव पत्रों को विचार में नहीं लिया जावेगा तथा तुलनात्मक विवरण में शामिल नहीं किया जावेगा। भाव पत्र निम्न विवरण के साथ दिनांक 30.09.2022 तक महाविद्यालय में स्वयं/कोरियर/स्पीड पोस्ट से कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	स्टेशनरी सामग्री का नाम	दर प्रति नग/दर्जन	रिमार्क
1	लांग कॉपी 152 पेज		
2	लॉग कॉपी 172 पेज		
3	लॉग कॉपी 192 पेज		
4	लॉग कॉपी 240 पेज		
5	बालपैन सेलो/रेनाल्ड/जाटर प्रतिनग/दर्जन		
6	प्रेटिक्ल फाईल 12 फोल्डर - (भौतिक, रसायन, वनस्पति, प्राणिशास्त्र)		
7	रबर		
8	कॉलेज बेग		
9	पेंसिल नटराज/अप्सरा		
10	स्टील स्केल		
11	केलकुलेटर		

- शर्त - 1. भाव पत्र के साथ GST में रजिस्ट्रेशन एवं देयक में GST नंबर अंकित होना अनिवार्य है।
 2. समय सीमा में प्राप्त भाव पत्र ही मान्य किये जावेगे। भाव पत्र के साथ उक्त सामग्री का नमूना प्रदाय करना आवश्यक होगा।
 3. प्रदाय कॉपी पर केवल प्रिंटेड मूल्य ही मान्य होंगे। अन्य प्रकार से अंकित मूल्य अस्वीकार्य।
 4. समय सीमा तथा आदेशानुसार स्टेशनरी प्रदाय नहीं करने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
 5. उपरोक्त दिये गये फार्मेट अनुसार ही भाव पत्र प्रदाय करें।
 6. लिफाफे पर स्टेशनरी प्रदाय निविदा 2022-23 अवश्य अंकित करें।
 7. भाव पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करना तथा उपरोक्त के अलावा प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य बंधकारिक होगा। भुगतान ई-पेमेंट से होगा अतः बैंक खाता क्रमांक एवं आय.एफ.एस. सी. कोड बिल पर अंकित होना अनिवार्य है।
 8. म.प्र. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्र. एफ-14-2012/अ-11 दिनांक 28.07.2015 द्वारा भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम-2015 के तहत स्टेशनरी आदेश प्रदाय किये जावेगे।

AB

प्रभारी पुस्तकालय

शासकीय माधव सदाशिवराव
गोलवलकर महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
प्रति,

आयुक्त

उच्च शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल

विषय:- विभाग कि वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु निवेदन।

Regd
15/9/22

Sm
प्राचार्य

शासकीय माधव सदाशिवराव
गोलवलकर महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)